

समाहरणालय मुजफ्फरपुर

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

दूरभाष संख्या 0621-2212101(का)
0621-2212105 (आ.) 2217285 (फ.)
E-mail : dm-muzaffarpur.bh@nic.in

पत्रांक...../आ.प्र., दिनांक.....

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार पटना।

विषय :- अग्निकांड एवं बाढ़ के कारण विस्थापित होने वाले परिवार को राहत सामग्री उपलब्ध कराने हेतु उसके क्रय के लिए अल्पकालीन निविदा प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अग्निकांड एवं बाढ़ के कारण विस्थापित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने हेतु उसके क्रय के लिए अल्पकालीन निविदा संख्या 01/2019-2020 की सूचना एवं उसकी सीडी0 (सॉफ्ट कॉपी) के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त का प्रकाशन तीन समाचार पत्रों में अविलम्ब कराने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

201-

जिलाधिकारी
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 520...../आ0प्र0, दिनांक 28/5/19...../

प्रतिलिपि :- अपर ^{आ.प्र. प्रबंधन विभाग} ^{आ.प्र. प्रबंधन विभाग} बिहार पटना/आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- DIO, NIC मुजफ्फरपुर को इस निदेश के साथ प्रेषित कि इस निविदा को मुजफ्फरपुर जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

जिलाधिकारी
मुजफ्फरपुर।

समाहरणालय मुजफ्फरपुर

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

दूरभाष संख्या
0621-2212101[का]
0621-2212105 [आ] 2217285

अल्पकालीन निविदा संख्या 01/2019-20

वर्ष 2019 में संभावित बाढ़ को ध्यान में रखते हुए प्रभावित परिवारों के बीच खाद्य सामग्रियों एवं अन्य सामग्रियों के मुफ्त वितरण हेतु द्विपद्धति लिफाफा विधि से सामग्रियों का दर निर्धारण हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता सीलबंद निविदा जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, मुजफ्फरपुर में दिनांक 19.06.2019 के अपराह्न 2.00 PM बजे तक जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 3 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। सामग्रियों की विवरणी एवं अन्य शर्तें जिले के वेबसाइट <http://muzaffarpur.bih.nic.in> अथवा जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, मुजफ्फरपुर समाहरणालय से प्राप्त की जा सकती है।

3. सामग्री का विवरणी एवं अन्य शर्तें निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	समग्री का नाम	प्रकार/गुणवत्ता	अन्य विवरण
1	2	3	4
1	चूड़ा	मंसूरी (उत्तम किस्म का)	दर प्रति कि०ग्रा० में अंकित होगा।
		बकोय	
		अन्य किस्में	
2	मुद्दी	उत्तम किस्म का	दर प्रति कि० में अंकित होगा।
3	गुड	भेली	दर प्रति कि० में अंकित होगा।
		सुखा (चक्की)	
4	चना	देशी/एम०पी०	दर प्रति कि० में अंकित होगा।
		अन्य किस्में	
5	चना का सत्तू	देशी/एम०पी०	दर प्रति कि० में अंकित होगा। एक कि०ग्रा० के पैकेट में।
		अन्य किस्में	
6	आटा	लोकल (खुला)	दर प्रति कि० में अंकित होगा। एक कि०ग्रा० के पैकेट में।
		अच्छे ब्राण्ड का (5kg/10kg में)	
7	चावल	परमल	दर प्रति कि० में अंकित होगा।
		मंसूरी(उत्तम किस्म)	
		अन्य किस्में	
8	दाल	अरहर,	दर प्रति कि० में अंकित होगा।
		चना,	
		मुग(देशी)	
		मसुर	
9	सरसों तेल	हाथी ब्राण्ड	15 kg प्रति टिन अंकित होगा
		ईजन ब्राण्ड	
		धारा ब्राण्ड(05 कि०ग्रा०)	
		अन्य ब्राण्ड	
10	मसाला	ब्राण्ड	दर 250gmX4= 1000gm अलग-अलग अंकित करेगें साथ ही ब्राण्ड का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होगा।
		जीरा(खारा)	
		जीरा(पाउडर)	
		हल्दी पाउडर	
		लाल मिर्च(खारा)	
		लाल मिर्च(पाउडर)	
		धनियाँ पाउडर	
		गोल मिर्च(खारा)	
		गोल मिर्च(पाउडर)	
11	मसाला	लोकल (खुला)	दर प्रति कि०ग्रा० में अंकित होगा।
		जीरा(खारा)	
		जीरा(पाउडर)	
		हल्दी पाउडर	
		लाल मिर्च(खारा)	
		लाल मिर्च(पाउडर)	
		धनियाँ पाउडर	

		गोल मिर्च(खारा)	
		गोल मिर्च(पाउडर)	
12	आलू	लोकल बाहरी	दर प्रति किंव० में अंकित होगा।
13	प्याज	लोकल नासिक	दर प्रति किंव० में अंकित होगा।
14	लहसुन	लोकल नासिक	दर प्रति किंव० में अंकित होगा।
15	पावरोटी	400 ग्राम का शकुन/वैशाली 200 ग्राम शकुन/वैशाली 400 ग्राम अन्य ब्राण्ड 150 ग्राम अन्य ब्राण्ड	प्रति पैकेट अंकित होगा।
16	बिस्कुट	टाईगर(75 ग्राम) पारले जी(75 ग्राम) ब्रिटानिया मिल्कबिकिस(250ग्राम) अरारोट (400 ग्राम)	प्रति पैकेट अंकित होगा।
17	दूध पाउडर(6 माह से 2 वर्ष के बच्चे के लिए)	Amul Sprayn 500gm Lactogen 500gm	प्रति पैकेट 500 ग्राम का डब्बा अंकित होगा।
18	सिनेटरी किट(6 माह से 2 वर्ष के बच्चे के लिए)	Huggies Mamy Pko pants Pampers	प्रति पैकेट अंकित होगा।
19	सिनेटरी किट(महिलाओं के लिए)	Stayfree Carefree Whisper	प्रति पैकेट अंकित होगा।
20	आयोडाईज्ड नमक	टाटा नमक स्थानीय(खुला)	दर प्रति बोरा (01 कि०ग्रा० का 50 पैकेट) में अंकित होगा।
21	चीनी	मोटा	दर प्रति किंव० में अंकित होगा।
22	माचिस मझोला साईज	AIM BALL Home Life	दर प्रति कार्टन(600 पैकेट एवं एक पैकेट 6 पीस माचिस बॉक्स रहेगा) अंकित होगा।
23	मोमबत्ती	8.5"X2.5" अच्छे किस्म का	दर प्रति कार्टन(एक कार्टन में 60 पैकेट एक पैकेट में 6 पीस) अंकित होगा।
24	मार्किन कपड़ा का थैला।	लम्बाई 2 फीट चौड़ाई 1.5 फिट(अच्छे किस्म का)	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
25	प्लास्टिक थैला	5 कि०ग्रा० वनज के लिए 2.50 कि०ग्रा० वनज के लिए	दर प्रति कि०ग्रा० अंकित होगा।
26	सिमेंट की खाली बोरियाँ	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
27	सुतली	अच्छे किस्म का	दर प्रति कि०ग्रा० अंकित होगा।
28	मच्छरदानी	सिंगल बेड का अच्छे किस्म का डबल बेड का अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
29	धोती	अच्छे किस्म का साधारण	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
30	साडी	सूती 5.5 मी० लम्बा सिंथेटिक 5.5 मी० लम्बा	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
31	साया	सूती	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
32	ब्लाउज	सूती	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
33	टीशर्ट एवं नीकर(बच्चों के लिए)	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
34	स्कर्ट फ्राक, चड्डी(बच्चों के लिए)	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
35	गंजी	अच्छे किस्म का साधारण	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा। यदि ब्राण्ड हो तो अंकित होगा।
36	लूंगी	अच्छे किस्म का साधारण	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा। यदि ब्राण्ड हो तो अंकित होगा।
37	गमछा	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा। यदि ब्राण्ड हो तो

		साधारण	अंकित होगा।
38	साबुन	लाईफबॉय लक्स मारगो	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
39	तेल	नारियल डाबर ऑवला निहार जैस्मीन	दर प्रति डब्बा जिसपर मात्रा अंकित होगा।
40	कंधी		दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
41	दरी	6'x4', 7'x5'	प्रति इस नग अंकित होगा।
42	चटाई	6'x4'	प्रति इस नग अंकित होगा।
43	लकड़ी(जलावन)		दर प्रति कि०ग्रा० अंकित होगा।
44	जनरेटर(भाड़े पर) ईंधन रहित।	5 एवं 10 के०वी०ए०	दर प्रतिदिन/प्रतिमाह अंकित होगा।
45	जनरेटर(भाड़े पर) ईंधन सहित।	5 एवं 10 के०वी०ए०	दर प्रतिदिन/प्रतिमाह अंकित होगा।
46	जनरेटर से चलने वाले सभी प्रकार की सामग्री(भाड़े पर)	मरकरी, सी०एफ०एल० एवं फंका	दर प्रतिदिन/प्रतिमाह अंकित होगा।
47	पेट्रोलैक्स(भाड़ेपर)		दर प्रतिदिन/प्रतिमाह अंकित होगा।
48	छोटा टॉर्च बैट्री सहित	छोटा दो सेल वाला निप्पो/एवेरेडी	दर प्रति अदद अंकित होगा।
49	आलू एवं सोयाबीन	उत्तम	दर प्रति कि० अंकित होगा।

● निविदा की सामान्य शर्तें :-

2. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग-अलग होगा। पुनः दोनो लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखना होगा। वित्तीय निविदा में दर संबंधी विवरण एवं तकनीकी निविदा में अन्य सभी वांछित कागजात होगा।

● तकनीकी निविदा :-

20. तकनीकी निविदा के साथ वाणिज्यकर विभाग के GSTनिबंधन प्रमाण-पत्र, आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड की छाया-प्रति एवं विगत दो वर्षों (वर्ष 2016-17 एवं 2017-18) का वार्षिक आयकर रिटर्न का प्रमाण-पत्र देना होगा।
21. निविदादाता द्वारा मो० 1,00,000.00(एक लाख) रूपये जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है जो जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पदनाम से मुजफ्फरपुर में विकलनीय होगा।
22. निविदादाता/फॉर्म को काली सूची में नहीं होने से संबंधित शपथपत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
23. निविदादाता दस्तावेज के साथ संलग्न सभी कागजात स्व अभिप्रमाणित कर संलग्न करना आवश्यक होगा।


● वित्तीय निविदा :-

24. वित्तीय निविदा में सभी सामग्री का दर प्रति कि०/किलोग्राम/प्रति पैकेट सभी प्रकार के कर सहित अंकित करनी होगी।
25. निविदा में आपूर्ति किये जानेवाले सामग्रियों की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
26. वित्तीय निविदा में अंकित दर मुद्रित होगा। किसी भी प्रकार के व्हाईटनर, Eraserके प्रयोग अथवा कॉट-छॉट होनेकी स्थिति में निविदा दर पर विचार नहीं किया जायगा।

● अन्य शर्तें :-

27. निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाता को इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश के तीन दिनों के अन्दर स्वीकृत नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साईज गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार सामानों की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देंगे एवं आवश्यकतानुसार इस जिला के सभी अंचल मुख्यालयों तक पहुँचा देंगे।

28. निविदा में अंकित मूल्य पर किसी भी स्थान पर (जिला के अन्दर) आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करना होगा। इसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
29. सामग्रियों की समान गुणवत्ता के दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर पर अलग-अलग आपूर्तिकर्ताओं से भी आपूर्ति प्राप्त किया जा सकता है।
30. निविदा खोलने के दिन सभी सामग्रियों का नमूना साथ में लायेंगे ताकि उनकी गुणवत्ता की जाँच की जा सके। स्वीकृत की गयी निविदा के निविदादाता नमूना के अनुसार सभी सामग्रियों का भण्डारण पर्याप्त मात्रा में अपने पास कर लेंगे।
31. स्वीकृत किये गये नमूने के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति किये गये सामग्री का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा एवं जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी। साथ ही आपूर्ति सामग्री आपूर्तिकर्ता को वापस ले जानी होगी, इसके लिए किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति भुगतान का दावा अमान्य होगा।
32. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
33. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार की अग्रिम देय नहीं होगा। आपूर्तिकर्ता को किसी भी प्रकार का परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
34. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
35. आपूर्ति की गयी सामग्रियों के विरुद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार जी0एस0टी0/सर्विस टैक्स/आयकर देय होगा, जिसकी कटौती एकमुश्त भुगतान के समय की जायेगी।
36. सामग्री की गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर के निविदाकर्ता को अधिमान्यता दी जायेगी।
37. बिना कारण बातए निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
38. निविदा पर कोई विवाद अथवा दावा का न्यायिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिला होगा।


जिलाधिकारी
मुजफ्फरपुर।